न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— उम्मेद सिह रतनू आर.ए.एस.
अनवान :— विविध प्रकारण संख्या 41/2020

हरबंस सिंह पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह जाति रामगढिया सिख निवासी 10 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

— — प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. अजयपाल सिंह पुत्र श्री करणी सिंह जाति राजपूत निवासी थेड़ी गगानी तहसील व जिला हनुमानगढ
2. शक्ति सिंह पुत्र श्री करणी सिंह जाति राजपूत निवासी थेड़ी गगानी तहसील व जिला हनुमानगढ
3. अवतार सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह
4. गुरदयाल कौर पुत्री श्री बिशन सिंह
5. गुरदेव सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह
6. तेज कौर पत्नी श्री इन्द्र सिंह
7. प्यारा सिंह पुत्र श्री बिशन सिह
8. प्रीतम सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिह
9. बख्तावर सिंह पुत्र श्री बिशन सिंह
10. बलविन्द्र सिह पुत्र श्री बिशन सिंह
11. महेन्द्र सिह पुत्र श्री इन्द्र सिह
12. संतोख सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह

(क्रमांक 3 से 12) जातियान रामगढिया सिख निवासीगण 7 जी छोटी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

13. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर।

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :— अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री संजय जनवेजा — — प्रार्थी
2. श्री रोबिन गुम्बर — — अप्रार्थी 1ता 4, 6ता 12
3. पैरोकार राज — — अप्रार्थी 13

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 15.01.2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थी के चक 10 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 144/117 (मुताबिक जमाबन्दी सम्बत 2072–2075) का मुरब्बा नम्बर 61 का किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 में कृषि भूमि है। प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार का जीवन निर्वाह केवल खेती पर निर्भर है तथा प्रार्थी खुद काश्त करता है। प्रार्थी के रकबा में आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा अथवा वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी इसी मुरब्बा

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

नम्बर 61 के किला नम्बर 21 में स्थित स्वीकृत रास्ता से आकर अप्रार्थीगण के रकबा इसी मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 21, 20, 11 व 10 में से गुजरकर अपने रकबा किला नम्बर 1 में प्रवेश कर सकता है। इसलिए प्रार्थी चक 10 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 10 में से 0.019 है0, किला नम्बर 11 में से 0.019 है0, किला नम्बर 20/1 में से 0.009 है0, किला नम्बर 20/2 में से 0.013 है0, किला नम्बर 21 में से 0.026 है0 रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते का रकबा में से मुरब्बा नम्बर 61 का किला नम्बर 10, 11, 20/1 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम से, किला नम्बर 20/2 व 21 का रकबा अप्रार्थीगण संख्या 3 से 12 के नाम से दर्ज कागजात माल है। जमाबन्दीयों की प्रतियां संलग्न है। यह कि प्रार्थी व अन्य द्वारा पूर्व में अन्य स्थान से रास्ता की मांग की गई थी, जिस पर गांव के मौजूज व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थीगण का राजीनामा करवा दिया गया। राजीनामा के अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 12 अपने रकबा, किला नम्बर 20/2 में से 0.013 है0, किला नम्बर 21 में से 0.026 है0 व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अपने रकबा, किला नम्बर 10 में से 0.019 है0, किला नम्बर 11 में से 0.019 है0, किला नम्बर 20/1 में से 0.009 है0 में रास्ता छोड़ेगें तथा रास्ता के मुआवजा के रूप में प्रार्थी अपनी भूमि वाके चक 10 ए छोटी के खाता संख्या 144/117 का मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 1 की दक्षिणी दिशा में से 0.0235 है0, किला नम्बर 2 की दक्षिणी दिशा में से 0.025 है0, व किला नम्बर 3 की दक्षिणी दिशा में से 0.0125 है। भूमि कुल 0.061 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को देगा तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अपनी भूमि वाके चक 10 ए छोटी के खाता संख्या 6/17 का मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 16/1 में से 0.008 है0, किला नम्बर 17/1 में से 0.008 है0, किला नम्बर 18/1 में से 0.008 है0, किला नम्बर 19/1 में से 0.008 है0 व किला नम्बर 20/1 में से 0.007 है0 भूमि कुल 0.039हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण को देगें तथा उक्तानुसार भूमि का इन्द्राज करवाने के लिए पाबन्द रहेगें। मगर अब अप्रार्थीगण ने इस राजीनामा की पालना से इन्कार कर दिया है, यही वाद कारण है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार चक 10 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 10 में से 0.019 है0, किला नम्बर 11 में से 0.019 है0, किला नम्बर 20/1 में से 0.009 है0 व किला नम्बर 20/2 में से 0.013 है0, किला नम्बर 21 में से 0.026 है। रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाकर, राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे तथा रास्ता के मुआवजा के रूप में प्रार्थी की भूमि चक 10 ए छोटी के खाता संख्या 144/117 का मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 1 की दक्षिणी दिशा में से 0.0235 है0, किला नम्बर 2 की दक्षिणी दिशा में से 0.025 है0, व किला नम्बर 3 की दक्षिणी दिशा में से 0.0125 है। भूमि कुल 0.061 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के खाता से कम करके अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से अंकित की जावे तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की भूमि वाके चक 10 ए छोटी के खाता संख्या 6/17 का मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 16/1 में से 0.008 है0, किला नम्बर 17/1 में से 0.008 है0, किला नम्बर 18/1 में से 0.008 है0, किला नम्बर 19/1 में से 0.008 है0 व किला नम्बर 20/1 में से 0.007 है0 भूमि कुल 0.039 है0 अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से कम की जाकर अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 12 के नाम से अंकित की जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता को स्वीकृत किये जाने बाबत आपसी सहमति पत्र दिनांक 18.06.2020 पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 12 द्वारा इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्यानुसार प्रार्थी व अन्य द्वारा पूर्व में अन्य स्थान से रास्ता की मांग की गई थी, जिस पर गांव के मौजूज व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थीगण का राजीनामा करवा दिया गया। राजीनामा के अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 3 ता

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

12 अपने रकबा, किला नम्बर 20/2 में से 0.013 है0, किला नम्बर 21 में से 0.026 हैक. व अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अपने रकबा, किला नम्बर 10 में से 0.019 है0, किला नम्बर 11 में से 0.019 है0, किला नम्बर 20/1 में से 0.009 है0 में रास्ता छोड़ेगें तथा रास्ता के मुआवजा के रूप में प्रार्थी अपनी भूमि वाके चक 10 ए छोटी के खाता संख्या 144/117 का मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 1 की दक्षिणी दिशा में से 0.0235 है0, किला नम्बर 2 की दक्षिणी दिशा में से 0.025 है0, व किला नम्बर 3 की दक्षिणी दिशा में से 0.0125 हैक. भूमि कुल 0.061 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को देगा तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 अपनी भूमि वाके चक 10 ए छोटी के खाता संख्या 6/17 का मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 16/1 में से 0.008 है0, किला नम्बर 17/1 में से 0.008 है0, किला नम्बर 18/1 में से 0.008 है0, किला नम्बर 19/1 में से 0.008 है0 व किला नम्बर 20/1 में से 0.007 हैक. भूमि कुल 0.039 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण को देगें का उक्तानुसार भूमि का इन्द्राज करवाने के लिए पाबन्द रहेगें। अप्रार्थीगण ने राजीनामा की पालना से इन्कार कर दिया। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार वाके चक 10 ए छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 10 में से 0.019 है0, किला नम्बर 11 में से 0.019 हैक., किला नम्बर 20/1 में से 0.009 हैक. व किला नम्बर 20/2 में से 0.013 है0, किला नम्बर 21 में से 0.026 हैक. रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत कर दिया जावे एवम् रास्ता के मुआवजा के रूप में प्रार्थी की भूमि चक 10 ए छोटी के खाता संख्या 144/117 का मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 1 की दक्षिणी दिशा में से 0.0235 है0, किला नम्बर 2 की दक्षिणी दिशा में से 0.025 है0, व किला नम्बर 3 की दक्षिणी दिशा में से 0.0125 हैक. भूमि कुल 0.061 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के खाता से कम करके अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से अंकित की जावे तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की भूमि वाके चक 10 ए छोटी के खाता संख्या 6/17 का मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 16/1 में से 0.008 है0, किला नम्बर 17/1 में से 0.008 है0, किला नम्बर 18/1 में से 0.008 है0, किला नम्बर 19/1 में से 0.008 हैक. व किला नम्बर 20/1 में से 0.007 है0 भूमि कुल 0.039 है0 अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से कम की जाकर अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 12 के नाम से अंकित की जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान मे प्रार्थी को अपने रकबे मे आने जाने के लिए स्थाई रास्ता नही है आस पास के खेतो मे से होकर जाता है। प्रार्थी रकबा मे जाने के लिए मु0 न0 61 के किला न० 21 ता 25 मे चालू कटानी (पक्की सडक) रास्ता गुजरता है। प्रार्थी के द्वारा चक 10 ए छोटी के मु0 न0 61 के किला न0 10–11–20–21 चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नही है। प्राथी को अपने खेत मे आने जाने के उपरोक्त पक्की सडक से चाहा गया रास्ता के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं है। ये ही चाहा गया रास्ता निकटतम एवं उपयुत रास्ता है। मौका नक्शा अवलोकनार्थ सलग्न है। प्रार्थी को अपने खेतो मे आने–जाने के लिए रास्ता दिया जाना अत्यत आवश्यक है। इसके अलावा कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण के पास आवागमन वास्ते कोई वैकल्पिक व्यवस्था नही है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण आपस मे सहमति हो चुकी है जिसका शपथ पत्र पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के आपसी सहमति के हस्ताक्षर करवाये गये है जो मूल ही सलग्न सादर प्रेषित है। वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 10 ए छोटी के मु0 न0 61 के किला न0 10/0.019, 11/0.019, 20/1=0.009, 20/2=0.013, 21/0.026 इस प्रकार कुल 0.086 हैक्टर रकबा में नियमानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रालवी पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट एवं अप्रार्थी–1 ता 12 द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया जवाब, प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ते का अभाव है, एवं प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। प्रार्थी को रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार चक 10 ए छोटी के मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्वर 10 में से 0.019 है0, किला नम्बर 11 में से 0.019 है0, किला नम्बर 20/1 में से 0.009 है0 व किला नम्वर 20/2 में से 0.013 है0, किला नम्बर 21 में से 0.026 हैक. रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवम् रास्ता के मुआवजा के रूप में प्रार्थी की भूमि चक 10 ए छोटी के खाता संख्या 144/117 का मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 1 की दक्षिणी दिशा में से 0.0235 है0, किला नम्बर 2 की दक्षिणी दिशा में से 0.025 है0, व किला नम्बर 3 की दक्षिणी दिशा में से 0.0125 है। भूमि कुल 0.061 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के खाता से कम करके अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से अंकित की जावे तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की भूमि वाके चक 10 ए छोटी के खाता संख्या 6/17 का मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 16/1 में से 0.008 है0, किला नम्बर 17/1 में से 0.008 है0, किला नम्बर 18/1 में से 0.008 है0, किला नम्बर 19/1 में से 0.008 है0 व किला नम्बर 20/1 में से 0.007 है0 भूमि कुल 0.039 है0 अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के नाम से कम की जाकर अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 12 के नाम से अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 15.01.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner